प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 08.10.2024

थाना धानापुर, जनपद चन्दौली

□थाना धानापुर पुलिस टीम द्वारा लूट एवं गैंगेस्टर के मुकदमे में वांछित तीन नफर शातिर अभियुक्त लूट का माल एवं अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार।

घटनाक्रम-थाना धानापुर अन्तर्गत ग्राम खरखोलिया में दिनांक 07.10.2024 को वादी मुकदमा दीपक कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 जद्दू प्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम नेकनामपुर प्रसादपुर थाना धानापुर जनपद चन्दौली की सब्जी व किराना की दुकान पर तीन व्यक्तियों द्वारा उधार की सिगरेट मांगना दुकानदार(वादी मुकदमा) द्वारा मना करने पर मारना पीटना ,गाली गलौज करना , तथा दुकान के गल्ले से पांच हजार रूपया जबरजस्ती छीन लेने तथा जान से मारने की धमकी देने की घटना घटित हुई थी , जिसके सम्बन्ध में वादी मुकदमा दीपक कुमार गुप्ता के लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 171/2024 बनाम 1. विपिन सिंह पुत्र रामवृक्ष सिंह निवासी ग्राम खरखोलिया थाना धानापुर जनपद चन्दौली 2. अमन श्रीवास्तव पुत्र उमेश श्रीवास्तव निवासी पूरबहा की मड़ई खरखोलिया थाना धानापुर जनपद चन्दौली 3. अभिषेक उर्फ प्रिंस यादव पुत्र स्व0 रामविलास यादव निवासी ग्राम करी थाना धानापुर जनपद चन्दौली दर्ज की गयी थी।

पुलिस कार्रवाई- पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद चन्दौली में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री विनय कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी सकलडीहा श्री रघुराज के निर्देशन तथा थानाध्यक्ष धानापुर महेश कुमार सिंह के नेतृत्व में मय पुलिस टीम को उस समय बड़ी सफलता मिली जब मुखबिर खास सूचना मिली की थाना धानापुर से सम्बन्धित तीनों अभियुक्तगण मड़ई गांव नहर के किनारे खड़े है ,अगर जल्दी किया जाय तो पकड़े जा सकते हैं कि इस सूचना पर पुलिस टीम मुखबिर खास द्वारा बताये गये स्थान की ओर बढ़े कि मड़ई गाँव की ओर से एक मोटरसाइकिल तेज रफ्तार में आती दिखाई दी कि मुखबिर ने बताया कि यही तीनो है और मुखबीर वहा से हट बढ़ गया वाहन खड़ा करके लाईट बन्द करके वाहन की आड़ लेकर गाड़ा बन्दी कर लिये कि जैसे ही मोटरसाइकिल नजदीक आयी कि हम पुलिस वाले एकबारगी मोटरसाइकिल के आगे आकर रोकने का इशारा किया गया तो मोटरसाइकिल सवार अचानक पुलिस वालो को देखकर मोटरसाइकिल रोककर कूदकर भागना चाहे कि पूर्व योजना के अनुसार चारो तरफ से घेरकर मौके पर ही आवश्यक बल प्रयोग करते हुये पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल सवार कुल तीन व्यक्तियो को पकड़ लिया गया। पकड़े गये अभियुक्तों से लूट का माल रूपया 2970/- तथा एक अदद देशी तमंचा व दो अदद जिन्दा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पकड़े गये अभियुक्तों को उनके विरूद्ध पंजीकृत अभियोग एवं जुर्म से अवगत कराकर हिरासत पुलिस में तथा लूट का माल अवैध पिस्टल व कारतूस व वाहन मोटर साइकलि को कब्जा पुलिस में दिनांक 08.10.2024 समय करीब 04.32 बजे लिया गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. विपिन सिंह पुत्र रामवृक्ष सिंह निवासी ग्राम खरखोलिया थाना धानापुर जनपद चन्दौली

2. अमन श्रीवास्तव पुत्र उमेश श्रीवास्तव निवासी पूरबहा की मड़ई खरखोलिया थाना धानापुर जनपद चन्दौली

3. अभिषेक उर्फ प्रिंस यादव पुत्र स्व0 रामविलास यादव निवासी ग्राम करी थाना धानापुर जनपद चन्दौली।

विवरण बरामदगी -

1.लूट का माल रूपया 2970 / -

2. एक अदद देशी तमंचा .315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

3. घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल व एक हाथ का कड़ा

आपराधिक इतिहास

1.विपिन सिंह राजभर पुत्र रामवृक्ष सिंह निवासी ग्राम खरखोलिया थाना धानापुर जनपद चन्दौली

1. मु0अ0सं0 171/2024 धारा 309(6)/317(2) व 3/25 आर्म्स एक्ट बीएनएस थाना धानापुर जनपद चन्दौली।

2. मु0अ0सं0 0016/2021 धारा 323/504/506 भादवि थाना धानापुर जनपद चन्दौली।

3. मु0अ0सं0 0121/2023 धारा 147/323/506 भादवि थाना धानापुर जनपद चन्दौली।

4. मु0अ0सं0 0169/2023 धारा 411/414 भादवि थाना धानापुर जनपद चन्दौली।

5. मु0अ0सं0 0096/2020 धारा 392/411 भादवि थाना बलुआ जनपद चन्दौली।

6. मु0अ0सं0 0101/2024 धारा 115(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना बलुआ जनपद चन्दौली।

7. मु0अ0सं0 0113/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम 1959 थाना बलुआ जनपद चन्दौली।

8. मुअ0सं0 0188/2018 धारा 395/412 भादवि थाना बलुआ जनपद चन्दौली।

9. मु0अ0सं0 0208/2019 धारा 3(1)w/3(1)घ/3(1)द एससी एसटी एक्ट व 323/354(क)/504/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना बलुआ जनपद चन्दौली

10. मु0अ0सं0 0242/2018 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना बलुआ जनपद चन्दौली

11. मु0अ0सं0 0259/2019 धारा 323/427/452/504 भादवि थाना बलुआ जनपद चन्दौली।

2.अमन श्रीवास्तव पुत्र उमेश श्रीवास्तव निवासी पूरबहा की मड़ई खरखोलिया थाना धानापुर जनपद चन्दौली

1. मु0अ0स0 171/2024 धारा 309(6)/117(2) बीएनएस थाना धानापुर जनपद चन्दौली।

2. मु0अ0सं0 0033/2024 धारा 323/504/506 भादवि थाना बलुआ जनपद चन्दौली।

3. मु0अ0सं0 0121/2023 धारा 147/323/506 भादवि थाना धानापुर जनपद चन्दौली।

4. मु0अ0सं0 0136/2020 धारा 323/419/420/467/468/471 भादवि थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली ।

5. मु0अ0सं0 0101/2024 धारा 115(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना बलुआ जनपद चन्दौली ।

3.अभिषेक उर्फ प्रिंस यादव पुत्र स्व0 रामविलास यादव निवासी ग्राम करी थाना धानापुर जनपद चन्दौली ।

1. मु0अ0स0 171/2024 धारा 309(6)/117(2) बीएनएस थाना धानापुर जनपद चन्दौली।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. महेश कुमार सिंह थानाध्यक्ष धानापुर
2. उ0नि0 केशव प्रसाद सिंह
3. उ0नि0 कृष्ण कुमार उपाध्याय
4. का0 अमित कुमार यादव
5. का0 भानू प्रताप यादव।

प्रेस नोट दिनांक-08.10.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

□श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा।

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री रोहित पुरी अपर सिविल जज (जूडि)/जेएम चकिया) जनपद चन्दौली द्वारा दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा व 2500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना बबुरी के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक08.10.2000 को धारा 25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.संजय बियार पुत्र परशुराम निवासी डवक थाना जमालपुर जनपद मीरजापुर के विरुद्ध अपराध संख्या- 50/2000 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बबुरी में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विपीन बिहारी यादव (पीओ) व थाना बबुरी के पैरोकार आरक्षी राम नरायण की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-08.10.2024 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री रोहित पुरी अपर सिविल जज (जूडि)/जेएम चकिया) जनपद चन्दौली द्वारा अभियुक्त 1.संजय बियार पुत्र परशुराम निवासी डवक थाना जमालपुर जनपद मीरजापुर को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा व 2500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

प्रेस नोट दिनांक-08.10.2024

(आपरेशन कन्विक्शन)

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा।

मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री रोहित पुरी अपर सिविल जज (जूडि)/जेएम चकिया) जनपद चन्दौली द्वारा दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना चकरघट्टा के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 15.11.2023 को धारा 379,411 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.श्याम सुन्दर पुत्र लल्लू जायसवाल निवासी बड़गाव थाना पन्नूगंज जनपद सोनभद्र के विरुद्ध अपराध संख्या- 73/2023 धारा 379,411 भादवि थाना चकरघट्टा में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विपीन बिहारी यादव (पीओ) व थाना चकरघट्टा के पैरोकार आरक्षी पुष्पेन्द्र कुमार यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-08.10.2024 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री रोहित पुरी अपर सिविल जज (जूडि)/जेएम चकिया) जनपद चन्दौली द्वारा अभियुक्त 1.श्याम सुन्दर पुत्र लल्लू जायसवाल निवासी बड़गाव थाना पन्नूगंज जनपद सोनभद्र को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।